न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 147 / 2018 दायरा दिनांक : 14.11.2018

उनवान

रामलाल आत्मज भैरूलाल, जाति मेघवाल, निवासी आवंलीकलां, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— रमेश आत्मज बद्रीलाल, जाति मेघवाल

2— श्रीराम आत्मज रमेश, जाति मेघवाल

3— श्रीमती गीताबाई पत्नी उदा, जाति मेघवाल

4— रामेश्वर आत्मज उदा, जाति मेघवाल

5— चन्दर आत्मज बापूलाल, जाति प्रजापति

6— मुकेश आत्मज बापूलाल, जाति प्रजापति

7— श्रीमती विद्याबाई पुत्री बापूलाल, जाति प्रजापति

8— भैरूलाल आत्मज कंवरलाल, जाति मेहर, अकवाम निवासीगण ग्राम आवंलीकलां, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

9— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 एवं रेस्पोडेंट नम्बर 6 लगायत 8 की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 38/दावा/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आवंलीकला, तहसील पचपहाड में आराजी खतौनी संख्या 215 की खसरा नम्बर 318 रकबा 11 बिस्वा स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है तथा वर्तमान में अपीलांट के खाते में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण स्वामी व मालिक वादी अपीलांट है तथा अपीलांट के खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में वर्षों से चली आ रही है जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 ने इसके कुछ भाग पर नाजायत कब्जा कर बिना आबादी में परिवर्तन कराये आवासीय मकान बना लिये हैं जो गैर कानूनी है इसके अतिरिक्त चन्दर, मुकेश एवं विद्याबाई प्रजापति जाति के सवर्ण है जबकि वादी अनुसूचित जाति का है। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट का कब्जा हटाया जावे तथा वादी अपीलांट को उसके खाते की आराजी पर कब्जा दिलाया

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादी के खाते की आराजी पर मदाखलत मजाहमत नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद अस्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत निर्णय व डिकी पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 कैम्प आवंलीकलां में वादी अपीलांट की अनुपस्थिति में वाद खारिज करने में एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2018 रास्ता चालू करने बाबत स्वीकार करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । कानूनन लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिए जिसमें राजीनामा के लिए दोनों पक्ष सहमत हो लिखित में राजीनामा प्रस्तुत करें फिर भी अधीनस्थ न्यायालयने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद लोक अदालत में रख कर अपीलांट की अनुपस्थिति में खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति बिना प्रकरण लोक अदालत में रख लिया तलबी प्रतिवादीगण की स्टेज पर ही प्रकरण दिनांक 04.06.2018 को लोक अदालत में बिना सूचना अपीलांट रख लिया दिनांक 24.04.2018 की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है। प्रकरण लोक अदालत में पक्षकारान में सहमति नहीं थी तो प्रकरण पुनः नियमानुसार सुनवाई हेतु मुकाम पर सुनवाई हेतु रखना चाहिए। अपीलांट मुताबिक राजस्व रेकार्ड विवादित आराजी का खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। आराजी के कुछ भाग पर रेस्पोडेंट अतिकमी है। अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अपीलांट के खाते की भूमि पर रेस्पोडेंट को जबरन कब्जा करने का अधिकार नहीं है तथाकथित अनरजिस्टर्ड बेचान से रेस्पोडेंट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2018 में वर्णित तथ्य आधारहीन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2018 अपास्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह पक्षकारान की तलबी करा जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत तरीके से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का निस्तारण करें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य एवं प्रकरण में मुताबिक रिकार्ड व वाद पत्र में चाहे गये बिन्दुनुसार प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा